

2021/361

चित्तौड़गढ़

15/06/22 पत्रावली पेश इशिकी ल प्राथमिक  
हाजिर। हाजिर चकी ल प्राथमिक  
आड थिठा पर NOT PRESS  
उपरोक्त रंर निवेदन किया कि  
प्राथमिक रंर प्रथम प्राथमिक पर

Not Recd  
15/6/22



M  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
जिला फलक्टर  
चित्तौड़गढ़

~~मही-चलामा-वाहली है अतः  
 प्राथम्य परम में कार्यवाही समाप्त  
 किये जाने का आदेश दिया जाये।  
 हाजर वकील प्राथम्य की  
 वही वही वाचन समेवाही  
 विद्वां को एक तरफा मुमा वसा।  
 हममे परवली का अवलोकन किया।  
 परवली वर्तमान में नलकी  
 वाचन लामि वही प्रकटा में  
 पडा प्रान की उपस्थिति होना शेष  
 है एवं प्राथम्य कम्पनी स्वयं अपना  
 प्राथम्य परम मही-चलामा-वाहली  
 है ऐसी स्थिति में वकील प्राथम्य  
 के निवेदन को स्वीकार किया  
 जाया है एवं प्राथम्य कम्पनी के  
 प्राथम्य परम अन्तर्गत धारा  
 139 LR 139 139 के  
 विद्वांल में खरीज किया जाया है।  
 परवली की गणना मिथि न  
 क. प्र. की जाकर वाड आवश्यक  
 कार्यवाही अभिलेखाकार में जाई  
 जाये। आदेश व्युत्पले न्यायालय में  
 मुमा वसा।~~



(अरविन्द कुमार पोसवाल)

जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़

15 JUN 2022